न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर– 2025/236

1. गणेश पुत्र बिड़दाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम रूलाणा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर।
3. पटवारी पटवार हल्का बनाथला ग्राम रूलाणा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर के निर्णय दिनांक 24.06.2024 अपील संख्या 27/2022 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व नायब तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 21.09.2022 प्रकरण संख्या 105/2022 उनवान सरकार बनाम गणेश में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री सुल्तान सिंह कुडी, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 27.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 एवं नायब तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 21.09.2022 के खिलाफ दिनांक 01.07.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 21.09.2022 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2078 में वाके ग्राम रूलाणा के आराजी खसरा नम्बर 381 कुल रकबा 0.41 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करने पर 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. नायब तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 21.09.2022 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 21.09.2022 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि रेस्पोडेंट् संख्या 1/नायब तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 21.09.2022 व अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 पत्रावली

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पर उपलब्ध दस्तावेज व भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर विधि विरूद्ध, मनमाना, अवैध एवं औचित्यहीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 10.05.2022 को एकपक्षीय अपीलांट की गैर हाजरी में तैयार की है। चूंकि अपीलांट के आवासीय मकानात ग्राम पंचायत, बनाथला द्वारा मिसल संख्या 10/73–04 तारीख दायर 07.07.1973 दिनांक 22.10.1975 को मांगूराम पुत्र मोटाराम के नाम आवासीय पट्टालेख जारी किया हुआ है। उसके बाद उक्त आवासीय भूमि को भागूराम के वारिसान नन्दाराम, सुरजाराम, जीवणराम, मदनलाल ने अपीलांट के पिता बिरदाराम को जरिये विक्रयलेख विक्रित की हुई है एवं ग्राम पंचायत बनाथला द्वारा भी अपीलांट के आवासीय मकानात, गुवाड़ी, बाड़ा आदि का आवासीय पट्टा संख्या 46 दिनांक 06.12.2021 को जारी किया हुआ है। पट्टा विलेख में वर्णित सींमाओं के भीतर ही अपीलांट का कब्जा, निर्माण है निर्धारित सींमा के अतिरिक्त अन्यत्र भूमि, रास्ता पर कोई निर्माण नहीं है। अपीलांट का पड़ौसी महावीर प्रसाद पुत्र नारायणलाल निवासी रूलाणा अनावश्यक रंजिश रखता है जिसके कारण अपीलांट को हैरान–परेशान करने की नियत से नायब तहसीलदार, दांतारामगढ व पटवारी हल्का, बनाथला से आपसी साजिश के तहत अपीलांट के खिलाफ शिकायत दिनांक 06.01.2022 को करते हुए गलत रिपोर्ट तैयार करवायी है। जिसके संबंध में नायब तहसीलदार ने अपने प्रभाव में लेकन अनाधिकृत रास्ते की भूमि में अतिक्रमण करना उल्लेखित किया है। प्रश्नगत रास्ता ग्राम पंचायत बनाथला की सीमाओं में स्थित है तथा राज्य सरकार के अधीन पूर्व में आम रास्ता की निर्धारित सींमाओं पर सीमेंट के ब्लॉक बिछाए थे तथा उसके पश्चात् पक्की सड़क का निर्माण किया है तत्समय ग्राम पंचायत या राजस्व विभाग ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण आम रास्ता की भूमि में नहीं माना, ना ही पंचायत द्वारा आवागमन के रास्ते में अतिक्रमण बाबत् नोटिस ही प्रेषित किया, जबकि ग्राम पंचायत विधि द्वारा आमचौक, आमरास्ता एवं सार्वजनिक भूमि के रखरखाव हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित है लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सरपंच ग्राम पंचायत, बनाथला ने अपने पत्रांकः SPL–1 दिनांक 18.04.2023 में भूमि ख.न. 381 में आम रास्ता सुचारू होना अंकित है जो अपील लम्बित दौरान पत्रावली पर मौजूद थे लेकिन इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार व अतिरिक्त जिला कलक्टर ने आक्षेपित निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिक्रमण हटाकर बेदखली आदेश पारित किया है जबकि बेदखली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियां उपरांत ही किया जा सकता है इसलिए उपरोक्त आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत नहीं है निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट का पड़ौसी महावीर ने लम्बित अपील दौरान पक्षकार संयोजित हेतु आवेदन दिनांक 02.11.2022 को प्रस्तुत करता है तथा उसको भंलीभांति ज्ञात था कि नायब तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध अपील लंबित है उसके बावजूद भी तथ्यों को छुपाते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष S.B.Civil Writ Petition No- 440/2024 प्रस्तुत कर गलत तथ्यों का समावेश करते हुए तहसीलदार के निर्णय को अंतिम निर्णय व कहीं भी अपील, रिवीजन लंबित नहीं होना उल्लेखित करवाकर दिनांक 24.01.2024 को आदेश पारित करवाया है तत्पश्चात् पक्षकार संयोजन आवेदन को दिनांक 22.02.2024 को विड्रो किया गया है। जिसकी गलत सूचना नायब तहसीलदार को देकर नोटिस कमांक/राजस्व/2024/337–39 व नोटिस कमांक/राजस्व/2024/340–43 दिनांकित 06.05.2024 प्रश्नगत भूमि में से माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 24.01.2024, जिला कलक्टर, सीकर पीएलपीसी के निर्णय व नायब तहसीलदार के निर्णय से पुलिस जाप्ता से अतिक्रमण हटवाने की मिथ्या रिपोर्ट व नोटिस प्रेषित करवाए है जो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नायब तहसीलदार, पटवारी हल्का सहित महावीर प्रसाद का आपसी सामंजस्य स्थापित होकर दूषित प्रकियां करना प्रमाणित होता है। जिसकी आड़ में उपरोक्त मिथ्या रिपोर्ट तैयार करना प्रथम दृष्टया सिद्ध है। इसलिए दूषित कार्यवाही से उद्धघोषित कार्यवाही का विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा कोई गौर नहीं कर आदेश जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते, ना ही अतिक्रमी है। क्योंकि अपीलांट ने विधिवत् ग्राम पंचायत से पट्टा विलेख प्राप्त कर आवासीय मकान निर्मित है जो पट्टे में वर्णित सीमाओं के भीतर है। पटवारी हल्का, नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच को सम्मिलित करते हुए सीमाज्ञान भूअभिलेख विभाग द्वारा ई.डी.एम. मशीन व पूर्व से निर्धारित राजस्व केंद्र बिंदुओं के मापदंडो अध्यधीन सींमाज्ञान उपरांत अतिक्रमी प्रमाणित करना आवश्यक था लेकिन नायब तहसीलदार ने मिथ्या पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर गलत बेदखली, पैनेल्टी लगायी है जिसको अपीलीय अदालत मातहत द्वारा कोई गौर किए बिना निर्णय दिनाक 24.06.2024 पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। निर्णय दिनांक 21.09.2022 आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है चूंकि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते हुए उठाए गये आपत्ति बिन्दुओं व जवाब के तथ्यों का सही विवेचन व तथ्यों का उल्लेख किये बिना आदेश जैर मनमाना दर्ज किया है। अपीलांट पूर्वजों से पट्टाशुदा/खरीदशुदा भूमि में काफी पुराने मकान निर्मित है। जिनका सींमाज्ञान करवाए एकपक्षीय रिपोर्ट के मध्यनजर प्रश्नगत भूमि से बेदखली आदेश पारित कर विधि एवं तथ्य की भूल कारित की है जो किसी भी प्रकार ठहरने योग्य नहीं है।

अपीलांट को अतिक्रमी बिना विधिवत् व निष्पक्षता से सीमाज्ञान भू–अभिलेख विभाग ई.डी.एम. मशीन/जी.पी.एस के माध्यम की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार से नहीं ठहराया जा सकता। अपीलांट आज भी भूमि नाप में निर्धारित मापदंडो के अनुरूप तैयार करवाने को तैयार है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी प्रश्नगत भूमि का पुनः सीमाज्ञान/नाप किया जाकर सीमाज्ञान उपरांत किसी तरह का अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को निर्देशित किया है इसका तात्पर्य यह है कि अपीलांट आज दिवस तक भी अतिक्रमी घोषित नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी राजस्व प्रशासनिक अधिकारों द्वारा मौके पर आकर रिहायसी मकानात को ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है जो विधि अनुसार यथोचित नहीं हो सकता। रेस्पोडेन्ट्स आम रास्ता की निर्धारित सीमा का अंकन तथाकथित पटवारी हल्का, भू०अभि० निरीक्षक रिपोर्ट में नहीं है, ना ही नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट संबंधित भौतिक मूल्यांकन निरीक्षण, जॉच करवाना कानूनन आवश्यक समझा। रिपोर्ट दिनांक 10.05.2021 में कहीं भी अतिक्रमित व्यक्ति या स्वतंत्र गवाहान द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, ना ही प्रभावित पक्षकार की उपस्थिति में तैयार की है। आक्षेपित रिपोर्ट मौका–फर्द संबंधित राजस्व कर्मचारियों ने पड़ौसी महावीर द्वारा दुर्भावना के चलते उसके कहेनुसार कार्यालय में बैठकर तैयार की है। इससे प्रथमतः स्पष्टतया दर्शित होता है कि आक्षेपति मौका–फर्द रिपोर्ट प्रभावित पक्षकार को सूचित किए एकपक्षीय तैयार की है जिसको कानूनन कोई विधिक महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने उक्त रिपोर्ट पर विश्वास कर आक्षेपित निर्णय दिनांक 21.09.2022 पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स ने तथाकथित रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक सहित नायब तहसीलदार नोटिस दिनांक 10.05.2022 एक ही दिवस को सम्पूर्ण कार्यवाही निष्पादित की है। इसलिए भी उपरोक्त रिपोर्ट सहित दूषित निर्णय न्यायिक प्रक्रियां अपनाए पारित किया है जो कतई ठहरने योग्य नहीं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है। अपीलांट की पट्टाशुदा एवं कब्जाशुदा भूमि है जिसके स्वामित्व संबंधी सम्पूर्ण अधिकार अपीलांट के है। लेकिन नायब तहसीलदार ने प्राकृतिक न्याय के परिपेक्ष्य में हितबद्ध को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय अतिक्रमी घोषित किया है जिसका अधिकार कतई नायब तहसीलदार को नहीं था। इससे पूर्णतः प्रमाणित है कि उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधिक दृष्टिकोण अनुसार नहीं होकर अन्यत्र को अनुचित लाभ की मंशा से पारित किया है जो किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। आक्षेपित निर्णय दिनांक 21.09.2022 विधि के आज्ञापक प्रावधानों एवं प्रक्रियां उपरांत ही की जा सकती है लेकिन नायब तहसीलदार ने विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर प्रतिकूल मिथ्या, बेबुनियाद, मनगढन्त रिपोर्ट को आधार मानकर अतिक्रमी घोषित किया है जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है इसलिए भी उपरोक्त आक्षेपित निर्णय ठहरने योग्य नहीं होकर निरस्त किए जाने योग्य है। पटवारी द्वारा चुनौतीग्रस्त रिपोर्ट की वास्तविकता हेतु नायब तहसीलदार ने किसी प्रकार की मौके की जाँच, भौतिक निरीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं करवाया। इसलिए भी उक्त आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का ने कभी भी मौका मुआयना हेतु मौके पर नहीं गया, ना ही वस्तुस्थिति अनुसार तहसीलदार को रिपोर्ट प्रेषित की जो किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं। पटवारी हल्का ने पदीय कृत्य, दायित्व निर्वहन नहीं कर अन्यत्र व्यक्ति की शिकायत को राजनैतिक प्रभुत्व के कारण अनुचित लाभ, द्वेषतावश, मनमाना, विधि विरूद्ध प्रस्ताव तैयार किया है जो कतई ठहरने योग्य नहीं है। अपीलीय निर्णय दिनांक 24.06.2024 व नायब तहसीलदार आदेश दिनांक 21.09.2022 विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, दांतारामंगढ के निर्णय दिनांक 21.09.2022 व अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के निर्णय दिनांक 24.06.2024 को निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2078 में वाके ग्राम रूलाणा के आराजी खसरा नम्बर 381 कुल रकबा 0.41 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 21.09.2022 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर ने अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2024 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से विदित

है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 10.05.2022 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा संवत 2078 में वाके ग्राम रूलाणा के आराजी खसरा नम्बर 381 कुल रकबा 0.41 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 21.09.2022 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए निर्णय पारित किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 में यह माना है कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता है अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2022 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2022 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर